



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून
फ़ोन-0135-2641115 फ़ैक्स-2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना और सम्बन्धित मामलों से सम्बद्ध) विनियम, 2018, [Draft UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2018] पर सुझाव आमंत्रण

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 व धारा 50 सपठित धारा 43, धारा 45, धारा 46, धारा 47 व धारा 57 तथा विद्युत (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2005 में प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा "प्रारूप उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना और सम्बन्धित मामलों से सम्बद्ध) विनियम, 2018", [Draft UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2018] जारी किया गया है। उक्त 'प्रारूप विनियम' आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

2. प्रारूप विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 14.11.2018 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।